

डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना 2026-27



ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि : 30.11.2026



डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के लिए अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमन्तू, अर्ध-घुमन्तू, टपरीवास, पिछड़ा वर्ग (ब्लॉक 'ए' एवं बी) एवं सामान्य श्रेणी के छात्रों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

1



योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के लिए पात्र अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमन्तू, अर्ध-घुमन्तू, टपरीवास, पिछड़ा वर्ग (ब्लॉक 'ए' एवं बी) एवं सामान्य श्रेणी के छात्रों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

2



विद्यार्थी हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।

3



आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय **4.00 लाख** से अधिक न हो।

4



इच्छुक विद्यार्थी **saralharyana.gov.in** पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

5



छात्र **17.08.2026** से **30.11.2026** तक आवेदन कर सकते हैं।

6



पात्रता मानदंड, छात्रवृत्ति की दर तथा योजना संबंधी विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट **sewa.haryana.gov.in** पर उपलब्ध है।

7



किसी प्रकार की समस्या/जानकारी के लिए हेल्पलाइन नं.
0172-2566219, 2567009
एवं संबंधित जिले के जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क करें।



समय पर आवेदन करें, छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करें।

निदेशक

सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण एवं
अन्तोदय (एसडॉठबल्यू0२0) विभाग, हरियाणा।